बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
अधिसूचना

पटना–15, दिनांक 29.01.2026

संख्या–7/स्था0–04–57/2025–सा0प्र0 2089 /भारत संविधान के अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, पटना उच्च न्यायालय, पटना के परामर्श के पश्चात् बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय–समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।–**
   (1) यह नियमावली बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) (संशोधन) नियमावली, 2026 कही जा सकेगी।
   (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
   (3) यह बिहार सरकार के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

2. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट 'ग' की कंडिका–2 में अंकित वैकल्पिक विषय 'साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि' शीर्षक के अधीन अंकित "भारतीय साक्ष्य अधिनियम (संख्या–1, 1872)" तथा "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संख्या–2, 1974)" का प्रतिस्थापन।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट 'ग' की कंडिका–2 में अंकित वैकल्पिक विषय 'साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि' शीर्षक के अधीन अंकित "भारतीय साक्ष्य अधिनियम (संख्या–1, 1872)" तथा "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संख्या–2, 1974)" को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा:–

   (i) "भारतीय साक्ष्य अधिनियम (संख्या–1, 1872)" को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (भा.सा.अ.)" द्वारा।

   (ii) "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संख्या–2, 1974)" को "भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (भा.ना.सु.सं.)" द्वारा।

3. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय–समय पर यथा संशोधित) के परिशिष्ट 'ग' की कंडिका–2 में अंकित वैकल्पिक विषय 'साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि' शीर्षक के अधीन परीक्षा के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना।**–उक्त नियमावली के परिशिष्ट 'ग' की कंडिका–2 में अंकित वैकल्पिक विषय 'साक्ष्य एवं प्रक्रिया विधि' शीर्षक के अधीन परीक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नवत् जोड़ा जाएगा:–

   "भारतीय न्याय संहिता, 2023 (भा.न्या.सं.)।"

4. **बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती) नियमावली, 1955 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 3 क (iii) का प्रतिस्थापन**।–उक्त नियमावली के नियम 3 क (iii) निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

> **"(iii) बिहार राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही सभी श्रेणियों में 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण तथा बिहार राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क अस्थि दिव्यांग मात्र को ही 01 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगी।"**

बिहार राज्यपाल के आदेश से
29/01/26
(रजनीश कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–57/2025सा0प्र0 2089 /पटना–15, दिनांक 29.01.2026

प्रतिलिपिः–ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को उक्त अधिसूचना की दो प्रतियाँ सी0डी0 सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि इसकी 200 (दो सौ) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाय।

29/01/26
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–7/स्था0–04–57/2025सा0प्र0 2089 /पटना–15, दिनांक 29.01.2026

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या–16 दिनांक 29.01.2026 के प्रसंग में/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/01/26
सरकार के अपर सचिव।